न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 7/18

1 सीता बाई बेवा नाथू जी
2 देवलाल पुत्र नाथू जी
3 मोती पुत्र नाथू जी
4 पाना बाई पुत्री नाथू जी
5 सोना बाई पुत्री नाथू जी
जाति बंजारा, निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 एजाज आलम अंसारी पुत्र हमीर मोहम्मद अंसारी, निवासी मकान नम्बर 113, ईसाईयों के पास, कैथून, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 26.02 .2018

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, प्रार्थी वकील
श्री विद्याशंकर गोस्वामी, प्रतिवादी वकील

निर्णय

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वयं के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 379/236 रकबा 0.37 हैक्टर वाके ग्राम खेडा जगपुरा, (आलनिया) तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण ने चारों तरफ पत्थरकोट कर रखी है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि की आराजी पर संवत 2016 (सन् 1959) से पत्थरकोट हो रहा है।

अप्रार्थी लडाकू, झगडालू किस्म का व्यक्ति है और प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से वंचित करना चाहता है, इसके बाबत अप्रार्थी द्वारा पूर्व में भी कई बार प्रार्थीगण की भूमि से प्रार्थीगण कोबेदखल करने की कोशिश की जा चुकी है, जिसका उसको करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक 15.01.2018 को अप्रार्थी मौके पर कुछ आपराधिक तत्वों के साथ आकर प्रार्थीगण की कोटशुदा भूमि के अन्दर प्रवेश करने का प्रयास किया ओर उक्त कोटशुदा बाउण्ड्री को तोडने का प्रयास किया और मोखिक रूप से यह कहकर गया कि उक्त भूमि तुम्हारी नहीं है और तुमने उक्त भूमि पर आवश्यकता से अधिक कब्जा कर रखा है और तुमने उक्त भूमि पर जो पत्थरकोट कर

सहायक कलक्टर, कोटा

रखा है, वह गलत है, उक्त पत्थरकोट को हटा लेवें अन्यथा मैं उक्त पत्थरकोट दीवार को ध्वस्त कर दूंगा, उक्त धमकी देकर गया है और यह कहकर गया है कि मैं उक्त आराजी पर कब्जा करके रहूँगा, अगर मुझे रोकने का प्रयास किया गया तो मैं तुम्हारे को जान से मारने की धमकी भी देकर गया है और वह पत्थरकोट दीवार को तोडकर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में प्रयत्नशील है, इससे प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का पूरा पूरा भ्स उत्पन्न हो गया है क्योंकि वादिनी एक वयोवृद्ध महिला है तथा उसके सभी खातेदारान एक गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति है तथा अप्रार्थी प्रभावशाली एवं ताकतवर है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को अवैध कृत्यों को रोकने हेतु प्रार्थीगण को यह प्राथ्रना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होना पडा है। अप्रार्थी अपने उक्त अवैधानिक कृत्यों में सफल हो गया तो प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी, जिसे अनेक विवाद पैदा होगें तथा प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या है, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 379/236 रकबा 0.37 हैक्टर वाके ग्राम खेडा जगपुरा (आलनिया), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर अप्रार्थी अवैध व अनाधिकृत तरीके से उक्त आराजी के चारों तरफ पत्थरकोट व उसमें खडी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाये और न ही पत्थरकोट को तोडने का प्रयास करे और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें और न ही अवैधानिक रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करें, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि व एजेन्टों से करावें। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी पेश की गई है।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात से ज्यादा आराजीयात पर कब्जा कर रखा है और जो पत्थरकोट कर रखी है, वह अतिक्रमण करके कर रखी है और न ही प्रार्थीगण के खाते की आराजीयात है। प्रार्थीगणों के हितों पर कोइ कुठाराघात नहीं है, केवल मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण को कोई प्राईमे फैसाई केस नहीं है और प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने रकबे से ज्यादा आराजीयात पर कब्जा कर पत्थरकोट कर रखी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये, विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार होने से प्रतिवादी से विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया गया, वहीं प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित रकबे से अधिक आराजी पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे वे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया

सहायक कलक्टर, कोटा

है जबकि अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी होना अंकित किया है। साथ ही निवेदन किया है कि प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या है। इसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा पेश की गई जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उनका नामान्तरकरण वर्ष 2017 में ही खोला गया है अर्थात वर्ष 2017 से पूर्व उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त का विवादित आराजी का कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में (1974 आर.आर.डी.475 हाकिम अली बनाम जगाल) में स्पष्टतः उल्लेखित है कि "अस्थाई निषेधाज्ञा उस पक्षकार के हक में जारी की जा सकती है जिसका कब्जा है चाहे वह कब्जा अधिकृत है अथवा नहीं"। इस प्रकार प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या नहीं है। प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है जबकि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना सिद्ध करने में असफल रहे है एवं साथ ही अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है क्योंकि, मुताबिक जमाबन्दी, उक्त विवादित आराजी नामान्तरकरण से वर्ष 2017 में ही वादी के खाते दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि तत्काल में प्राप्त आराजी पर प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं हो रहा है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के केस प्रथम दृष्ट्या नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति नहीं होने तथा प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूलवाद हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26 फरवरी, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर, कोटा